

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जनपद

अल्मोडा।

पत्रांक: सीएफओ/एन/पीटीएच/2024-25(91)

दिनांक: जुलाई 05, 2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज

डीडीहाट, पिथौरागढ़

**विषय:** अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance (नवीनीकरण) के सम्बन्ध में।

कृपया आपके प्रार्थनापत्र ए0यू0आई0डी0 नम्बर-59588255, दिनांक 26.06.2025 के अनुसार आवेदक प्रधानाचार्य/प्रबन्धक राजकीय इण्टर कालेज डीडीहाट, जनपद-पिथौरागढ़ का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ के निरीक्षण आख्या दिनांक 02-07-2025 के अनुसार अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत एबीसी टाइप क्षमता 04 कि०ग्रा० के 07 अदद्, 5 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित है। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निशमन जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन पिथौरागढ़ की संस्तुति के आधार पर अटल अत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कालेज, डीडीहाट, जनपद-पिथौरागढ़ (कुल 21 कमरें, व 01 भोजनालय हेतु) का दिनांक 05 जुलाई 2025 से 04 जुलाई 2028 तक अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण इस आधार पर किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय :-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैंक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. किसी भी प्राधिकृत अधिकारी/व्यक्ति द्वारा यदि भूमि/भवन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

पिथौरागढ़/अल्मोडा